



75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण Central Adoption Resource Authority



महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Women & Child Development, Government of India

प्रक्रिया : अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण (अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चे)

(ORPHAN, ABANDONED AND SURRENDERED CHILDREN)

01

प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण (AFAA) / केंद्रीय प्राधिकरण (CA) / भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) द्वारा अनिवासी भारतीय (NRI), भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक (OCI) और विदेशी भावी दत्तक माता-पिता (Foreign PAPs) का गृह अध्ययन (Home Study) और उनका अभिहित पोर्टल (CARINGS) पर पंजीकरण करना।

02

प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण (AFAA) / केंद्रीय प्राधिकरण (CA) / भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) द्वारा पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करना (अनुसूची VI भाग 2)

03

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) के दस्तावेजों की जांच करना और उनका अनुमोदन करना।

04

प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण (AFAA) / केंद्रीय प्राधिकरण (CA) / भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) के माध्यम से भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) को बच्चे का ऑनलाइन रेफरल भेजा जाएगा, जिसे 96 घंटे के भीतर आरक्षित और 30 दिनों भीतर स्वीकार किया जा सकता है।
{ भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण (AFAA) / केंद्रीय प्राधिकरण (CA) / भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) के माध्यम से इन 3 टैब के द्वारा बच्चों को सीधे तौर पर आरक्षित कर सकते हैं :
(i) तत्काल प्लेसमेंट (ii) विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (iii) भारतीय निवासी (RI) / अनिवासी भारतीय (NRI) / भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारकों (OCI) के लिए 7 दिन }

05

प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण (AFAA) / केंद्रीय प्राधिकरण (CA) / भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) द्वारा हेग अभिसमय के अनुच्छेद 5 / 17 के अनुसार निर्धारित पत्र को अपलोड करना।

06

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा 10 दिनों के भीतर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना, बशर्ते सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त हो चुके हों (अनुसूची X)

07

विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) द्वारा 5 दिनों के भीतर दत्तक-ग्रहण के आवेदन को दाखिल करना और जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा 5 दिनों के भीतर उसकी जांच करना।
(अनुसूची IX भाग-2 और अनुसूची XXIX)

08

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 60 दिनों के भीतर दत्तक-ग्रहण आदेश जारी करना (अनुसूची XXXIII)।
जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा दत्तक-ग्रहण आदेश को पोर्टल पर अपलोड करना।

09

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा 3 दिनों के भीतर पुष्टि प्रमाण-पत्र (Conformity Certificate) जारी करना (अनुसूची XI)।

10

बच्चे के लिए पासपोर्ट और निकास वीजा।

11

प्राप्तकर्ता देश में बच्चे के आने की तिथि से 2 वर्ष तक प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण (AFAA) / केंद्रीय प्राधिकरण (CA) / भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई (अनुसूची XII)।

संदर्भ: दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 का अध्याय IV

अभिहित पोर्टल: बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)

Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 (भारत) West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)

कारा हेल्पलाइन नंबर: 1800-111-311 [सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर)]

CARA HelplineNo.: 1800-111-311 [Available between 8:00 AM to 8:00 PM (Mon-Fri, Except Gazetted Holidays)]

ईमेल / E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, वेबसाइट / Website: https://cara.wcd.gov.in, CARINGS: https://carings.wcd.gov.in

PROCEDURE : INTER-COUNTRY ADOPTION (ORPHAN, ABANDONED AND SURRENDERED CHILDREN)

- 01** Home Study & registration of NRI, OCI & Foreign PAPs on Designated Portal by AFAA/CA/IDM
- 02** AFAA/CA/IDM uploads documents on Portal (Schedule VI- Part 2)
- 03** Scrutiny of documents & approval of PAPs by CARA
- 04** Online referral of the child to PAPs through AFAA/CA/IDM and the child to be reserved within 96 hours & accepted within 30 days on the Portal. {PAPs through AFAA/CA/IDM can also reserve child directly through Immediate Placement/ Special Needs/ Seven Days for RI/NRI/OCI PAPs Tab}
- 05** AFAA/CA/IDM uploads documents as per Article 5/17 of Hague Convention.
- 06** CARA issues NOC within 10 days subject to receiving of requisite documents (Schedule X)
- 07** Filing of Adoption Application by SAA within 5 days & scrutiny by DCPU within 5 days (Schedule IX Part-2 & Schedule XXIX)
- 08** DM issues Adoption Order within 60 Days (Schedule XXXIII). DCPU uploads Adoption Order on Portal
- 09** CARA issues Conformity Certificate within 3 days (Schedule XI)
- 10** Passport & Exit Visa for the child
- 11** Post-Adoption Follow-up by AFAA/CA/IDM for 2 years w.e.f. the date of arrival of child in receiving country (Schedule XII)



Reference: Chapter IV of Adoption Regulations, 2022

Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

AFAA: Authorised Foreign Adoption Agencies | CA: Central Authority | CARA: Central Adoption Resource Authority

DCPU: District Child Protection Unit | DM: District Magistrate | IDM: Indian Diplomatic Mission

NOC: No Objection Certificate | NRI: Non-Resident Indian | OAS: Orphan, Abandoned or Surrendered

OCI: Overseas Citizen of India | PAPs : Prospective Adoptive Parents | SAA: Specialised Adoption Agency

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 (भारत) West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)

कारा हेल्पलाइन नंबर: 1800-111-311 [सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर)]

CARA HelplineNo.: 1800-111-311 [Available between 8:00 AM to 8:00 PM (Mon-Fri, Except Gazetted Holidays)]

ईमेल / E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, वेबसाइट / Website: <https://cara.wcd.gov.in>, CARINGS: <https://carings.wcd.gov.in>